प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवनीत उर्फ भूरे पुत्र श्री चन्द्रप्रभाकर शर्मा, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नवनीत उर्फ भूरे पुत्र श्री चन्द्र प्रभाकर शर्मा, लमऊआ, थाना-दियोरिया कला, जिला-पीलीभीत का निवासी है। कृषि भूमि को लेकर चल रहे मुकदमें की रंजिश में दिनांक 21.03.2000 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रायफल व तमन्चें से गोली मारकर मारकर मेवाराम शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद नामक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-457, 458 /2002 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25 ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-6, पीलीभीत के आदेश 13.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.02.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.05.2023 तक 14 वर्ष 04 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 07 माह 16 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में असक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 46 वर्ष की आयु तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवनीत उर्फ भूरे (बन्दी संख्या-17086) पुत्र श्री चन्द्रप्रभाकर शर्मा, निवासी जनपद-पीलीभीत की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-910/2025/3556(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।